

01/03/17

समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
-: संयुक्त आदेश :-

पंचायत उप चुनाव, 2017 के दिनांक 02-03-2017 को मतगणना के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जिला संयुक्त प्रतिनियुक्त आदेश

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-पं0नि0 30-228 /2016- 82, दिनांक 16-01-2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक 28-02-2017 को सम्पन्न पंचायत उप निर्वाचन, 2017 का मतगणना दिनांक 02-03-2017 को प्रातः 08:00 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रखण्डवार मतगणना का कार्य निम्न स्थल पर सम्पन्न कराया जायेगा :-

क्र0	प्रखंड का नाम	बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र का नाम
1	मुरलीगंज	ब्लॉक कैम्पस मुरलीगंज
2	कुमारखंड	आदर्श सिंहेश्वर मध्य विद्यालय, कुमारखंड
3	उदाकिशुनगंज	ब्लॉक कैम्पस, उदाकिशुनगंज
4	बिहारीगंज	पंचायत भवन, कुस्थन, बिहारीगंज
5	आलमनगर	ब्लॉक कैम्पस आलमनगर

उक्त प्रखंडों के मतगणना का कार्य दिनांक 02-03-2017 को यथानिर्देशित स्थल में 08:00 बजे प्रातः से प्रारंभ होगा। इस मतगणना के अवसर पर विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु प्रखण्डवार निम्नांकित दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों /पुलिस बल /लाठी बल की प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट-‘क’ के अनुसार की जाती है।

(2) प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी का कर्तव्य

सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि 06:00 बजे सुबह अपने-अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर उपस्थित हो जायेंगे और मतगणना कार्य सम्पन्न होने के उपरांत निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही अपना प्रतिनियुक्त स्थान छोड़ेंगे।

सभी थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने प्रखंड के मतगणना केन्द्र पर सुबह 06:00 बजे से उपस्थित होकर विधि-व्यवस्था का संधारण करेंगे और यदि कोई कठिनाई हो तो अधोहस्ताक्षरी द्वय को सूचित करेंगे।

इसके अतिरिक्त प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि :-

(i) बिना पहचान-पत्र के कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र में प्रवेश कदापि नहीं करेगा। अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता के पास फोटोयुक्त पहचान-पत्र रहेगा, जो संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(ii) मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस कर्मी मतगणना समाप्ति के तीन घंटा पश्चात् तक अपने-अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर बने रहेंगे।

(iii) मतगणना परिसर में जिलाधिकारी /पुलिस अधीक्षक /निर्वाची पदाधिकारी की गाड़ी को छोड़कर किसी प्रकार के गाड़ी को पार्किंग करने की अनुमति नहीं रहेगी।

(iv) मतगणना केन्द्र के बाहर 200 गज की परिधि में चाय, पान आदि की दुकाने नहीं रहेगी।

(v) मतगणना के समाप्ति के पश्चात् किसी भी उम्मीदवार को विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है, इसे संबंधित थानाध्यक्ष /अंचलाधिकारी एवं मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।

(3) विडियोग्राफी की व्यवस्था

पंचायत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतगणना कार्य का विडियोग्राफी कराना है। तदनुसार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाची पदाधिकारी (पं०) मतगणना कार्य की विडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार

➤ अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्र के विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। किसी दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी की अनुपस्थिति में वैकल्पिक प्रतिनियुक्त संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

➤ सभी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी मतगणना समाप्ति के पश्चात् अपने-अपने अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर विधि-व्यवस्था /शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करायेंगे।

➤ संबंधित थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके थाना क्षेत्र में मतगणना परिणाम के मद्देनजर विधि-व्यवस्था /शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होने पाये। मतगणना परिणाम /घोषणा के पश्चात् शांति व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी संबंधित अंचलाधिकारियों /थानाध्यक्षों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहेंगे।

यह आदेश मतगणना प्रारंभ होने के समय से मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

नोडल पदाधिकारी
विधि-व्यवस्था कोषांग

मधेपुरा।
28/04/17

पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।

जिला दण्डाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
मधेपुरा।

ज्ञापांक529...../गो0, मधेपुरा, दिनांक28/2/17.....

प्रतिलिपि : गृह आयुक्त, बिहार, पटना /पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा /आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा /सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /पुलिस बल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /संबंधित निर्वाची पदाधिकारी /संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /संबंधित अंचलाधिकारी / पुलिस निरीक्षक /संबंधित थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला /परिचारी प्रवर, मधेपुरा/ संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र पर आवश्यक समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित

नोडल पदाधिकारी
विधि-व्यवस्था कोषांग

मधेपुरा।
28/2/17
28/2/17

पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।

जिला दण्डाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
मधेपुरा।

प्रखंडवार मतगणना केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की विवरणी (परिशिष्ट 'क')

क्र०	प्रखंड का नाम	बज़रगृह एवं मतगणना केन्द्र का नाम /प्रतिनियुक्त स्थल	मतगणना केन्द्र पर प्रतिनियुक्त			
			प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी	प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी	स्टेटिक शस्त्र बल	स्टेटिक लाठी बल
1	मुरलीगंज	ब्लॉक कैम्पस, मुरलीगंज	श्री रितेश रंजन-11, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, मुरलीगंज- 7543066533	पु0अ0नि0 उपेन्द्र कुमार शर्मा, मुरलीगंज थाना-9470837542	1-4	1-10
2	कुमारखंड	आदर्श सिंहेश्वर मध्य विद्यालय, कुमारखंड	श्री तरुण कुमार मिश्र, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कुमारखंड- 9470269005	पु0अ0नि0 भूप नारायण झा, कुमारखंड थाना-7250906617	1-4	1-10
3	उदाकिशुनगंज	ब्लॉक कैम्पस, उदाकिशुनगंज	श्री अमित कुमार, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज- 7549910361	स0अ0नि0 राम निवास सिंह, उदाकिशुनगंज थाना-9771900566	1-4	1-10
4	बिहारीगंज	पंचायत भवन, कुस्थन, बिहारीगंज	शमीम अहमद अंसारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बिहारीगंज- 8002827995	पु0अ0नि0 विरेन्द्र कुमार ठाकुर, बिहारीगंज थाना-7739951964	1-4	1-10
5	आलमनगर	ब्लॉक कैम्पस, आलमनगर	श्री बजरंगी सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, आलमनगर- 9801992709	पु0 अ0 नि0 जयचन्द कुमार, आलमनगर थाना- 9470404530	1-4	1-10

नोडल पदाधिकारी
विधि-व्यवस्था कोषांग
मधेपुरा।
28/2/17
28/2/17

28-2-17
पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।

जिला दण्डाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
मधेपुरा।